

2021/160

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी मुकाम सूरजगढ़

प्रियका वगै० बनाम राजेन्द्र वगै०

किस्म मुकदमा धारा प्रार्थना पत्र 212

मुकदमा न० 63.../2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.07.2021	<p>आज यह प्रार्थना पत्र बाद रिपोर्ट पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर हो। तलबी अप्रार्थीगण प्रस्तुत तलवाने पर जरिये नोटिस नकल प्रार्थना पत्र भेजकर की जावे। वकील प्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थना पत्र के विचारणीय बिन्दुओं पर वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनने से प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण के हिस्से तक अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि ख०न० 675 रकबा 0.59 है०, खसरा न० 676 रकबा 0.51 है०, खसरा न० 77 रकबा 1.45 है० कुल किता 3 कुल रकबा 2.55 है० वाके मौजा ग्राम पिलानी के बाबत आगामी पेशी तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। आदेश 39 रूल 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित हो। मिसल आयन्दा वास्ते तलबी अप्रार्थीगण हेतु दिनांक 12/8/21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़</p> <p>26/7/21 वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रपत्नी काठ रकबा की कार्य वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में NOT Press किए गए। कल प्रार्थी का प्रार्थना पत्र NOT Press में शारीर किए गए। पत्रपत्नी काठ के कठ होकर बरखाली साबित साबित हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़</p>	<p><i>[Signature]</i> 26/7/2021</p> 